

MSTP/D.1. - 1302
28/3/14

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF
INDIA, EXTRAORDINARY]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification

New Delhi, the 27th March, 2014

S.O. (E) Whereas, the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) in exercise of the powers under the Industrial Park Scheme, 2002 (hereinafter referred to as the Scheme), as notified vide number S.O.354(E) dated the 1st April 2002, through the Empowered Committee had granted approval to the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s Finest Promoters Private Ltd., New Delhi at Khasra No.1961/2 and 1962/1, Sector 54, Taluka Gurgaon, District Gurgaon, Haryana as an Industrial Park;

And, whereas, the Central Government (Ministry of Finance, Department of Revenue, CBDT), in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Act') had notified the undertaking being developed and being maintained and operated by M/s Finest Promoters Private Ltd., New Delhi at Khasra No.1961/2 and 1962/1, Sector 54, Taluka Gurgaon, District Gurgaon, as an Industrial Park for the purposes of the said clause (iii), vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, vide number S.O 462, dated the 9th February, 2007, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

And, whereas, subsequently the Central Government (Ministry of Commerce and Industry) vide letter No.15/29/2006-IP&ID dated 24th January, 2014, has withdrawn the said approval granted to the undertaking under the Scheme;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Act read with section 21 of the General Clause Act, 1897 (10 of 1897), hereby rescinds the said notification No. S.O. 462, dated 9th February, 2007, with effect from the 9th February, 2007

[Notification No. 21 /2014. F.No.178/3/2007-ITA-I]



(Surabhi Sharma)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi-110064.

Ms. Rella
31/3/14

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2014

का.आ. (अ) जबकि केन्द्रीय सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के कानूनी आदेश सं. 354(अ) द्वारा यथा अधिसूचित औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा जाएगा) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिकार प्राप्त समिति के जरिए खसरा सं. 1961/2 और 1962/1, सेक्टर 54, तालुका गुड़गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स फाइनेस्ट प्रमोटर्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में अनुमोदन प्रदान किया था;

और, जबकि, केन्द्रीय सरकार (वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खसरा सं. 1961/2 और 1962/1, सेक्टर 54, तालुका गुड़गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स फाइनेस्ट प्रमोटर्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा विकसित और अनुरक्षित और प्रचालित किए जा रहे उपक्रम को भारत के राजपत्र, के भाग-II, खंड 3 के उपखंड (ii) में दिनांक 9 फरवरी, 2007 के का.आ. संख्या 462 के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के द्वारा उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि, तदन्तर, केन्द्र सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने दिनांक 24 जनवरी, 2014 के पत्र सं. 15/29 /2006- आईपी एंड आई डी द्वारा स्कीम के तहत उपक्रम को प्रदान किए गए उक्त अनुमोदन को वापस ले लिया है;

अतः अब केन्द्र सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित अधिनियम की धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 462 दिनांक 9 फरवरी, 2007 को एतद्वारा 9 फरवरी, 2007 से रद्द करती है।

(अधिसूचना सं. १/2014 फा.सं. 178/3/2007-आयकर नि.1)

सुरभि शर्मा

(सुरभि शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली-110064